न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2737/III/2014 –विरुद्ध आदेश दिनांक 20.9.2013 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 252 अ–19/2004–04 निगरानी

देवी पुत्र हरचरण यादव
ग्राम हनुमतपुरा तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ------आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन -----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 31 - 8 - 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण 252 अ–19/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.9.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार बल्देवगढ़ ने प्रकरण कमांक 125/अ–19/1995–96 में पारित आदेश दि028.4.1996 से ग्राम हनुमतपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 50/1 एंव 218 कुल किता 2 कुल रकबा 0.946 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवेदक के हित में व्यवस्थापन किया। अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने

प्रतिवेदन दिनांक 25.8.99 प्रस्तुत कर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को बताया कि तहसीलदार बल्देवगढ़ ने वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन नियम विरूद्ध किया है, इस पर से अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 286/2002-03 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 29.8.2003 पारित किया तथा तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 125/अ-19/1995-96 में पारित आदेश दि0 28.4.1996 से आवेदक के हित में किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 252/अ-19/2003-04 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 20.9.2013 से निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी हैं

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 252/अ-19/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 20.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.8.14 को निगरानी प्रस्तुत की गई है। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन का पुष्टिकरण करते हुये आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि आवेदक पढ़ा-लिखा नहीं है अँगूठा लगाता है । उसने नियुक्त अभिभाषक से सागर में कई वार संपर्क किया, किंतु अभिभाषक व्दारा प्रकरण के चलने के बारे में कुछ नहीं बताया। जब अपर आयुक्त के यहाँ जाकर रीडर से संपर्क किया तब उसे निगरानी खारिज होने की बात बताई गई, उसके वाद दिनांक 20.8.14 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन दिया एंव 21.8.14 प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, तब जाकर ग्वालियर में आकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो जानकारी के दिन से समयावधि में मान्य की जावे। अनावेदक के अभिभाषक ने निगरानी समयवाह्य होना बताते हुये निरस्त करने की मांग की ।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आवेदक व्दारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि आवेदक पढ़ा-लिखा नहीं है एंव निशानी अंगूठा लगाता है। वैसे भी अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित करना न्यायसंगत नहीं है। अतएव निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभाविक पाये जाने से क्षमा योग्य है।

5/ गुण-दोष के आधार पर उभय पक्ष के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने स्वमेव निगरानी प्रकरण में आवेदक को व्यक्तिगत सूचना दिये बिना, उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की है जबकि आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर व्दारा भेजा गया कारण बताओ नोटिस आवेदक को मिला नहीं है अपितु उसे किसी अन्य व्यक्ति पर निर्वाहित कराकर आवेदक की पावती मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। यह सही है कि अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 29.8.03 में एकपक्षीय कार्यवाही करना अंकित किया है स्पष्ट है कि आवेदक को सुनवाई का एंव बचाव प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है और इस बिन्दु पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने गौर नहीं किया है।

6/ अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 286/02-03 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.8.03 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार बल्देवगढ़ के व्यवस्थापन आदेश दि0 28.4.1996 के विरूद्ध स्वमेव निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 25.8.99 पर से पंजीबद्ध हुई है अर्थात 28.4.96 के 3 वर्ष 4 माह के अन्तर से दर्ज की गई है।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) - स्वमेव निगरानी की शक्तियॉ प्रयोग करने के लिये एक वर्ष का समय अयुक्तियुक्त है - ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल कुछ माह के भीतर ही किया जा सकता है - अतिविलम्ब अथवा अत्याधिक समय व्यतीत होने के उपरांत स्वमेव निगरानी की शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। श्रीमती कमला सिंह विरूद्ध श्रीमती अलका सिंह 2011 रा0नि0 273=2011(II) MPJR 593 से अनुसरित।**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 29.8.03 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एंव इस पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा गौर न करने की भूल करने से उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 20.9.13 भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ तहसीलदार बल्देवगढ़ ने आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर 2.101984 से कब्जा पाये जाने के आधार पर आदेश दिनांक 28.4.96 से भूमि का व्यवस्थापन किया है। यदि आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय – आवेदक ने अकृषि योग्य भूमि श्रम व धन व्यय करके बंधान बनाते हुये ट्यूव वैल उत्खनित कर उन्नत कृषि योग्य बनाया है, तब क्या ऐसी भूमि को अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर से 03 वर्ष 04 माह के अंतराल उपरांत स्वय्मेव निगरानी में लेकर पुनः शासकीय घोषित करना उचित है ?

1. **इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन 2009 राजस्व निर्णय 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि – भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा–50 – जब किसी पक्षकार को भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती। प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा–50 – अत्याधिक समय व्यतीत होने से एकपक्ष के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और दूसरे पक्षकार के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आवेदक के पक्ष में जो अधिकार उत्पन्न हुये हैं – अब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता।**

विचाराधीन प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है किन्तु कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दि0 28.8.03 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने

भी आदेश दिनांक 20.9.13 पारित करते समय इन तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रक0कमांक 252 अ-19 2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.9.2013 एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 286/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 29.8.2003 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । फलतः तहसीलदार बल्देवगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 125/अ-19/1995-96 में पारित आदेश दि0 28.4.1996 स्थिर रहने से आवेदक के हित में ग्राम हनुमतपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 50/1 एंव 218 कुल किता 2 कुल रकबा 0.946 हैक्टर का किया गया व्यवस्थापन यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर